

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4119 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 9 / 2018

II-14-58/06 Pt-II

श्री अंचल खरे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 1977 के नियम 31 के अनुसार दिनांक 28.04.06 से 31.05.06 तक 34 दिन के पूर्व स्वीकृत अवैतनिक अवकाश को असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) में भूतलक्षी प्रभाव से रूपान्तरित किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही / -

(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4120 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 9 / 2018

II-14-58/06 Pt-II

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री अंचल खरे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.